



छत्तीसगढ़ शासन

लेखे एक दृष्टि में
2011-12

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
छत्तीसगढ़, रायपुर



प्राक्कथन

“लेखे एक दृष्टि में” हमारा वार्षिक प्रकाशन है।

राज्य सरकार के वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार बनाये और जांचे जाते हैं। वार्षिक लेखे (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे का समावेश है। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान के अनुसार किये गये व्यय अंकित किये जाते हैं और वास्तविक व्यय तथा निधि व्यवस्था के बीच अन्तर के स्पष्टीकरण का सार अंकित किया जाता है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

“लेखे एक दृष्टि में” सरकारी कार्यकालापो का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। सूचना संक्षिप्त स्पष्टीकरण, विवरण एवं ग्राफ द्वारा दर्शायी गयी है।

आपकी टिप्पणियां एवं सुझाव, प्रकाशन को और उपयोगी बनाने में हमें सहयोग प्रदान करेंगे।

हस्ता.

(एन. एस. पिल्लै)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

छत्तीसगढ़

स्थान : रायपुर

दिनांक: 08 फरवरी, 2013

हमारा दृष्टिकोण, लक्ष्य और बुनियादी मूल्य

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संस्था का दृष्टिकोण हमारी भावी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

हम वैश्विक नेतृत्व के लिये प्रयासरत हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम कार्यपद्धति के पहलकारों में रहे हैं और शासन तथा सार्वजनिक वित्त की स्वतंत्र, विश्वसनीय सन्तुलित एवं सामयिक सूचना देने के लिये पहचाने जाते हैं।

हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रतिपादित एवं आज हम जो कर रहे हैं उसे उल्लेखित करता है।

भारत के संविधान से अधिदिष्ट, हम उच्च गुणवत्तापूर्ण लेखांकन एवं लेखापरीक्षा के माध्यम से उत्तरदायी, पारदर्शिता तथा सुशासन को प्रोत्साहित करते हैं एवं अपने हितधारकों- विधायिका, कार्यपालिका तथा लोकजन को, स्वतन्त्र रूप से आश्वस्त करते हैं कि लोक निधियों का उपयोग पूर्ण दक्षतापूर्वक तथा इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

हम जो भी करते हैं, उसके लिये हमारे बुनियादी मूल्य पथ प्रदर्शक दीपस्तम्भ की तरह हैं जो हमारे कार्य निष्पादन के मूल्यांकन हेतु मानक तय करते हैं।

- स्वतन्त्रता
- उद्देश्यपरकता
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक कुशलता
- पारदर्शिता
- सत्यनिष्ठा
- सकारात्मक पहल

विषय सूची

अध्याय-1	विहंगावलोकन	पृष्ठ संख्या
1.1	परिचय	7
1.2	लेखे का स्वरूप	7
1.3	वित्त एवं विनियोग लेखे	9
1.4	निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	10
1.5	लेखे की प्रमुखताएं	13
1.6	घाटा एवं आधिक्य क्या संकेत करते हैं	14
अध्याय-2	प्राप्तियां	
2.1	परिचय	17
2.2	राजस्व प्राप्तियां	17
2.3	प्राप्तियों का रुझान	18
2.4	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन	20
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	21
2.6	संघ करों के राज्यांश का रुझान	21
2.7	सहायता अनुदान	22
2.8	लोक ऋण	22
अध्याय-3	व्यय	
3.1	परिचय	23
3.2	राजस्व व्यय	23
3.3	पूंजीगत व्यय	24
अध्याय-4	आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय	
4.1	व्यय का वितरण (2011-12)	26
4.2	आयोजना व्यय	26
4.3	आयोजनेतर व्यय	27
4.4	व्यय का अतिरेक	27
4.5	वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर व्यय	29
अध्याय-5	विनियोग लेखे	
5.1	विनियोग लेखे का सार (2011-12)	30
5.2	विगत पाँच वर्षों के बचत/आधिक्य का रुझान	30
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	31
अध्याय-6	परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	
6.1	परिसम्पत्तियां	34
6.2	ऋण एवं देयताएं	34
6.3	प्रत्याभूतियां	35

अध्याय-7	अन्य मदें	
7.1	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम	36
7.2	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	36
7.3	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	37
7.4	लेखों का पुनर्मिलान	37
7.5	कोषालयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	37
7.6	अपूर्ण निर्माण कार्यों पर प्रतिबद्धता	38

अध्याय—1

विहंगावलोकन


1.1 परिचय

छत्तीसगढ़ सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं के संकलन का कार्य महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा किया जाता है। यह संकलन जिला कोषालयों, लोक निर्माण, वन तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डलों आदि के द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित होता है। ऐसे संकलन के पश्चात महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रतिवर्ष वित्त एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं, जिन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छ.ग. द्वारा लेखापरीक्षा एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 लेखे का स्वरूप

1.2.1 शासकीय लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :-

भाग—I समेकित निधि	राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं की प्राप्तियों एवं व्यय लोक ऋण तथा उधार एवं अग्रिम, अन्तर्राज्यीय परिशोधन, आकस्मिकता निधि को विनियोग
भाग—II आकस्मिकता निधि	बजट में उपबन्धित न किये गये अनवेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु। इस निधि से हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तदनन्तर समेकित निधि से की जाती है।
भाग—III लोक लेखे	इसमें ऋण, जमा, पेशगिर्यो, प्रेषण तथा उचन्त से संबंधित लेन देन शामिल है। ऋण तथा जमा शासन के पुनर्भुगतान दायित्वों को निरूपित करते हैं। पेशगिर्यां शासन की प्राप्ति योग्य राशियाँ हैं। प्रेषण एवं उचन्त लेन देन समायोजनीय प्रविष्टियाँ हैं जिन्हें अन्ततः लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज कर शोधित किया जाता है।



1.3 वित्त एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे शासन की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के साथ ही राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखाओं एवं लोक लेखे में दर्ज शेषों के लेखाओं का चित्रण करते हैं। वित्त लेखाओं को अधिक विस्तृत एवं सूचनात्मक बनाने की दृष्टि से वर्ष 2009-10 से वित्त लेखे दो खण्डों में प्रकाशित किए जा रहे हैं। वित्त लेखे के खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र सहित सकल प्राप्तियों एवं संवितरणों के संक्षिप्त विवरण पत्रक एवं लेखांकन नीतियों के महत्वपूर्ण सार को समाविष्ट करते हुए लेखाओं पर टिप्पणी, लेखाओं की गुणवत्ता एवं अन्य मदें समाहित हैं। खण्ड II में अन्य संक्षिप्त विवरण (भाग I), विस्तृत विवरण (भाग II) तथा परिशिष्ट (भाग III) शामिल है।

छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे में सम्मिलित प्राप्तियां एवं संवितरण निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां (कुल: ₹ 2,79,57.22)	राजस्व (कुल ₹ 2,58,67.38)	कर राजस्व	1,70,32.69
		करेतर राजस्व	40,58.48
		सहायता अनुदान	47,76.21
	पूंजीगत (कुल ₹ 20,89.84)	पूंजीगत प्राप्तियां	3.93
		ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां	12,82.53
		अन्तर्राज्यीय समाशोधन	2.21
		उधार और अन्य दायित्व ^(*)	8,01.17
संवितरण (कुल: ₹ 2,79,57.22)	राजस्व	2,26,28.05	
	पूंजीगत	40,56.40	
	उधार और अग्रिम	12,68.74	
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	4.03	

(*) उधार और अन्य दायित्व:- निवल लोक ऋण + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा + निवल रोकड़ शेष।

संघ शासन, राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय संगठनों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे प्रचुर निधियां स्थानान्तरित करता है। इस वर्ष भारत सरकार ने सीधे ₹ 49,89.89 करोड़ की राशि विमुक्त की है। चूंकि ये निधियां राज्य के बजट के माध्यम से नहीं दी गई हैं अतः ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रतिबिम्बित नहीं होती हैं। संघ शासन द्वारा वर्ष के दौरान राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय संगठनों को सीधे स्थानान्तरित किये गए निधियों की जानकारी वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VII में प्रदर्शित हो रही है।

1.3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक है। वे राज्य विधान मंडल द्वारा पारित "दत्तमत" और संचित निधि पर "प्रभारित" राशियों के विरुद्ध राज्य सरकार के व्यय को प्रदर्शित करते हैं, इसमें 50 प्रभारित विनियोग एवं 72 दत्तमत अनुदानों के लेखे सम्मिलित है।

विनियोग अधिनियम 2011-12 में ₹ 3,60,44 करोड़ के सकल व्यय एवं ₹ 7,08 करोड़ व्यय में कमी (वसूलियां) उपबंधित है। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 2,92,18 करोड़ एवं व्यय में कमी (वसूलियां) ₹ 4,09 करोड़ रही, परिणामतः ₹ 68,26 करोड़ की शुद्ध बचत (19 प्रतिशत) एवं ₹ 2,99 करोड़ (42 प्रतिशत) क्रमशः प्राक्कलन से अधिक व्यय में कमी रही।

1.4 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग-

1.4.1 अर्थोपाय पेशगियां-

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को अर्थोपाय पेशगियों की सुविधा प्रदान कर अपनी तरलता स्थिति बनाएं रखने में समर्थ बनाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार न्यूनतम शेष राशि में कमी हाने पर अधिविकर्षण की सुविधा दी जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने अर्थोपाय पेशगी या अधिविकर्षण सुविधा का आश्रय नहीं लिया।

1.4.2 निधियों के प्रवाह का विवरण


राज्य के पास ₹ 32,39 करोड़ का राजस्व आधिक्य एवं ₹ 8,01 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः दो प्रतिशत एवं एक प्रतिशत रहा। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,58,67 करोड़) का लगभग 42 प्रतिशत खर्च, वेतन (₹ 78,74 करोड़, जिसमें ₹ 8,97 करोड़ सहायता अनुदान शामिल है), ब्याज भुगतान (₹ 11,93 करोड़) तथा पेंशन पर (₹ 18,78 करोड़) व्यय किए गए।

निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग


(₹ करोड़ में)

विवरण		राशि
स्रोत	01.04.2011 को प्रारंभिक नगद शेष	(-)14,80.73
	राजस्व प्राप्तियां	2,58,67.38
	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	12,82.53
	सार्वजनिक ऋण	4,21.34
	अल्प बचतें भविष्य निधियां तथा अन्य	8,30.42
	आरक्षित एवं शोधन निधि	5,63.73
	जमा प्राप्ति	29,16.68
	चुक्ता सिविल अग्रिम	4,32.38
	उचन्त लेखे	10,09,34.74
	प्रेषण	68,89.67
	पूँजीगत प्राप्तियां	3.93
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.21
	योग	13,86,64.28
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	2,26,28.05
	पूँजीगत व्यय	40,56.40
	प्रदत्त ऋण	12,68.74
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	8,52.49
	अल्प बचतें भविष्य निधियां तथा अन्य	5,22.66
	आरक्षित तथा शोधन निधि	5,04.83
	जमा व्यय	23,31.45
	प्रदत्त सिविल अग्रिम	4,31.67
	उचन्त लेखा	9,91,75.97
	प्रेषण	67,93.57
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	4.03
	31.03.2012 को रोकड़ अंतशेष	94.42
	योग	13,86,64.28

1.4.3 रूपया कहाँ से आया :-



1.4.4 रूपया कहाँ गया :-



1.5 लेखे की प्रमुखताएं :-

(₹ करोड़ में)

मद		बजट अनुमान 2011-12	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत	
				बजट प्रावधान से	स.रा.घ.उ. से
1	कर राजस्व ²	1,60,34.78	1,70,32.69	106	13
2	करेतर राजस्व	43,10.87	40,58.48	94	3
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	54,64.25	47,76.21	87	4
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	2,58,09.90	2,58,67.38	100	19
5	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	10,96.27	12,82.53	117	1
6	उधार और अन्य दायित्व ³	38,19.79	8,01.17	-21	1
6अ	पूंजीगत प्राप्तियां (अन्तर्राज्यीय समाशोधन के द्वारा)	₹	6.14	₹	₹
7	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)	49,16.06	20,89.84	43	2
8	कुल प्राप्तियां (4+7)	3,07,25.96	2,79,57.22	91	21
9	आयोजनेतर व्यय (एन.पी.ई.)	1,32,92.30	1,26,34.40	95	9
10	राजस्व लेखे का आयोजनेतर व्यय	1,32,80.22	1,26,23.64	95	9
11	सरल क्रमांक 10 के व्यय में से ब्याज अदायगी पर व्यय (एन.पी.ई.)	13,03.34	11,93.20	92	1
12	पूंजीगत लेखे (एन.पी.ई.)	0.81	10.76	₹₹	0
13	योजना व्यय	1,74,33.66	1,53,22.82	88	11
14	राजस्व लेखा (पी.ई.)	1,11,81.55	1,00,04.41	89	7
15	पूंजीगत लेखा (पी.ई.)	50,76.25	53,18.41	105	4
16	कुल व्यय (9+13)⁴	3,07,25.96	2,79,57.22	124	21
17	राजस्व व्यय (10+14)	2,44,61.77	2,26,28.05	93	17
18	पूंजीगत व्यय [12+15] ⁵	50,77.06	53,29.17	100	4
19	राजस्व आधिक्य [4-17]	13,48.13	32,39.33	240	3
20	राजकोषीय घाटा [4+5-16+6अ]	-38,19.79	-8,01.17	-21	1

₹ वर्ष के बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। ₹₹ प्रतिशत हजार में होने कारण अंकित नहीं की गई।

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 13,55,36.34 करोड़ की जानकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त हुई है।

2. संघीय करों के राज्यांश की राशि ₹ 63,20.44 करोड़ सम्मिलित है।

3. उधार एवं अन्य दायित्व ₹ 8,01.17 करोड़, में निवल लोक ऋण (₹ -4,31.15 करोड़), आकस्मिकता निधि की निवल राशि निरंक, लोक लेखा (₹ 28,07.47 करोड़) तथा रोकड़ शेष (₹ -15,75.15 करोड़) सम्मिलित है।

4. पूंजीगत व्यय ₹ 53,29.17 करोड़ में निवल पूंजीगत व्यय (₹ 40,56.40 करोड़), ऋण तथा अग्रिम (₹ 12,68.74 करोड़) तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन (₹ 4.03 करोड़) सम्मिलित है।

5. कुल व्यय में ऋण तथा अग्रिम ₹ 12,68.74 करोड़ की राशि (₹ 12,58.73 करोड़ आयोजनागत व्यय तथा ₹ 10.01 करोड़, आयोजनेतर व्यय) सम्मिलित है।

1.6 घाटा और आधिक्य क्या संकेत करते हैं? :-


<p>घाटा</p>	<p>राजस्व एवं व्यय के अन्तर को निर्दिष्ट करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे वित्त व्यवस्थित किया जाता है और निधियों के अनुप्रयोग वित्तीय व्यवस्था में दूर दर्शिता के मुख्य सूचक हैं।</p>
<p>राजस्व घाटा / आधिक्य</p>	<p>राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के अन्तर को निर्दिष्ट करता है। राजस्व व्यय शासन के विद्यमान स्थापना के अनुरक्षण के अपेक्षित तथा आदर्श रूप से पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों से मिलना चाहिए।</p>
<p>राजकोषीय घाटा / आधिक्य</p>	<p>कुल प्राप्तियों (उधारों को पृथक कर) तथा कुल व्यय के अन्तर को निर्दिष्ट करता है। अतः यह अन्तर दर्शाता है कि उधारों द्वारा किस सीमा तक व्यय को वित्त व्यवस्थित किया गया है। आदर्श रूप से उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।</p>

घाटा सूचक, राजस्व आवर्धन तथा व्यय व्यवस्थापन शासन के राजकोषीय प्रदर्शन के विवेचन के वृहद मापदण्ड हैं। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय दायित्व अधिनियम-2005 शीर्षक से एक राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, बुद्धिमत्तापूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता, राजस्व घाटे के क्रमिक समापन, राजकोषीय स्थिरता से संगत टिकाऊ/स्थिर ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में उच्चतर पारदर्शिता एवं राजकोषीय नीति के संचालन में एक मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचा सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।


वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 13 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व आधिक्य 2010-11 के ₹ 33,63.79 करोड़ से कम होकर वर्ष 2011-12 में ₹ 32,39.33 करोड़ हो गया।

राजस्व आधिक्य में ₹ 1,24.46 करोड़ की कमी एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 7,21.27 करोड़ की वृद्धि के साथ साथ पूंजीगत व्यय में ₹ 11,05.00 करोड़ की वृद्धि एवं ₹ 7,02.19 करोड़ अन्तर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋणों एवं अग्रिमों के भुगतान में वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 का राजकोषीय आधिक्य ₹ 4,09.76 करोड़ जोकि वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 801.17 करोड़ राजस्व घाटे के रूप में परिवर्तित हुआ।

1.6.1-राजस्व आधिक्य का रुझान




1.6.1- राजकोषीय घाटा/ आधिक्य का रुझान



1.6.3- पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधियों का अनुपात

छत्तीसगढ़ शासन का विगत पाँच वर्षों में उधार ली गई निधियों एवं पूंजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपातिक विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
उधार की निधियाँ	2,61.93	3,86.34	12,87.21	7,95.19	4,21.34
पूंजीगत व्यय	31,30.69	29,40.16	27,44.92	29,51.51	40,56.40



अध्याय-2.

प्राप्तियां


2.1- परिचय

शासन की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2011-12 की कुल प्राप्तियां ₹ 2,79,57.22 करोड़ थीं।

2.2-राजस्व प्राप्तियां:-

कर राजस्व	राज्य द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित एवं संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अधीन राज्य के संघीय कर अंश समाविष्ट होते हैं।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित होते हैं।
सहायता अनुदान	संघीय सरकार से राज्य सरकारों को अत्यावश्यक केन्द्रीय सहायता का रूप है। संघीय सरकार की मध्यस्थता द्वारा विदेशी सरकारों से प्राप्त बाह्य सहायता अनुदान जिसमें सहायता सामग्री तथा उपकरण सम्मिलित है। इसी प्रकार राज्य सरकार कुछ संस्थाओं जैसे पंचायती राज संस्थाएं एवं स्वशासी निकाय आदि को भी सहायता अनुदान प्रदान करती है।

राजस्व प्राप्तियां



■ कर राजस्व ■ करेतर राजस्व ■ सहायता अनुदान एवं अंशदान

राजस्व प्राप्तियों के घटक (2011-12)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक
क. कर राजस्व	1,70,32.69
आय तथा व्यय पर कर	37,62.55
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	11,25.98
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	1,21,44.16
ख. करेतर राजस्व	40,58.48
ब्याज प्राप्तियां लाभांश तथा लाभ	2,17.03
सामान्य सेवाएं	67.57
सामाजिक सेवाएं	81.88
आर्थिक सेवाएं	36,92.00
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	47,76.21
योग-राजस्व प्राप्तियां	2,58,67.38

2.3- प्राप्तियों का रुझान:-

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कर राजस्व	96,53.08 (12)	1,08,51.63 (11)	1,15,03.91 (11)	1,44,30.33 (12)	1,70,32.69 (13)
करेतर राजस्व	20,20.45 (2)	22,02.21 (2)	30,43.01 (3)	38,35.32 (3)	40,58.48 (3)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	22,05.12 (3)	26,08.92 (3)	36,06.74 (4)	44,53.89 (4)	47,76.21 (3)
योग-राजस्व प्राप्तियां	1,38,78.65 (17)	1,56,62.76 (16)	1,81,53.66 (18)	2,27,19.54 (19)	2,58,67.38 (19)
सकल राज्य * घरेलू उत्पाद	8,02,55.11	9,69,72.18	9,92,61.96^(P)	11,75,66.74^(Q)	13,55,36.34^(A)


*वर्ष 2011-12 में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय से पुनःरीक्षित आंकड़े प्राप्त होने के फलस्वरूप वर्ष 2007-08 से 2010-11 के आंकड़ों में परिवर्तन किया गया।

(A) = अग्रिम आंकलन, (P) = अंतरिम आंकलन, (Q) = त्वरित आंकलन

टिप्पणी : कोष्टक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशता दर्शाते हैं।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के मध्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व वसूली में (कर राजस्व 18.03 प्रतिशत, करेतर राजस्व 5.81 प्रतिशत तथा सहायता अनुदान 7.24 प्रतिशत) वृद्धि 13.85 प्रतिशत रही।


सकल राज्य धरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व प्राप्तियों के अधीन घटक



क्षेत्रवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आय तथा व्यय पर कर	21,51.56	22,80.67	28,15.86	32,49.91	37,62.55
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	5,52.26	8,56.45	7,46.89	10,37.57	11,25.98
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	69,49.26	77,14.51	79,41.15	1,01,42.85	1,21,44.16
योग-कर राजस्व	96,53.08	1,08,51.63	1,15,03.91	1,44,30.33	1,70,32.69



2.4 राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन:-

वर्ष	कर राजस्व	संघ करों में राज्य का अंश	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	राज्य का स्वयं के कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
(₹ करोड़ में)				
1	2 (3+4)	3	4	5
2007-08	96,53.08	40,35.20	56,18.08	7.00
2008-09	1,08,51.63	42,57.91	65,93.72	6.79
2009-10	1,15,03.91	43,80.66	71,23.25	7.17
2010-11	1,44,30.33	54,25.19	90,05.14	7.65
2011-12	1,70,32.69	63,20.44	1,07,12.25	7.90

2.5 कर संग्रहण की दक्षता

(अ) सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर:-

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व संग्रहण	5,52.26	8,56.45	7,46.89	10,37.56	11,25.58
संग्रहण पर व्यय	1,08.85	1,29.40	1,48.57	1,68.65	2,10.92
कर संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत में)	20	15	20	16.25	18.73

(ब) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर :-

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व संग्रहण	69,49.26	77,14.51	79,41.15	1,01,42.85	1,21,44.16
संग्रहण पर व्यय	1,78.61	2,12.36	2,22.38	1,78.09	2,72.84
कर संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत में)	3	3	3	2	2

कर राजस्व का मुख्य अंश वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर से आता है । कर संग्रहण में दक्षता श्रेष्ठ है तथापि संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर संग्रहण दक्षता में सुधार किया जा सकता है ।


2.6 संघ करों के राज्यांश का रुझान :-

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
निगम कर	12,80.59	13,96.23	18,02.82	21,20.52	24,87.79
आय पर निगम कर के अलावा कर	8,59.51	8,76.77	10,04.24	11,20.57	12,63.69
सम्पत्ति कर	1.42	1.36	4.08	4.35	9.60
सीमा शुल्क	7,62.69	8,13.92	6,13.10	9,48.66	10,95.85
संघ उत्पाद शुल्क	7,28.08	7,09.89	4,93.86	6,90.12	7,09.12
सेवा कर	4,02.92	4,59.85	4,62.56	5,40.97	7,54.39
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	-0.15	-0.11	00	00	00
संघीय करों का राज्यांश	40,35.00	42,57.91	43,80.66	54,25.19	63,20.44
कुल राजस्व कर	96,53.08	1,08,51.63	1,15,03.91	1,44,30.33	1,70,32.69
कुल कर राजस्व में संघीय करों का प्रतिशत	42	39	38	38	37

2.7 सहायता अनुदान:-

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें राज्य आयोजना तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित केन्द्र प्रवर्तित योजना/केन्द्रीय योजना एवं वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित आयोजनेत्तर अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2011-12 को सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 47,76.21 करोड़ रही जो कि निम्नलिखित है।



2.8 लोक ऋण:-

राज्य सरकार के 2011-12 के कुल ₹ 3,64.60 करोड़ के आंतरिक ऋण के साथ इस दौरान प्राप्त केन्द्रीय ऋण घटक ₹ 56.74 करोड़ के विरुद्ध पूंजीगत व्यय केवल ₹ 40,56.40 करोड़ रहा।

विगत पांच वर्षों में लोक ऋण का रुझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आंतरिक ऋण	-1,97.95	-1,29.40	5,28.81	36.95	-3,46.00
केन्द्रीय ऋण	94.93	1,67.06	1,06.83	67.37	-85.15
कुल लोक ऋण	-1,03.02	-2,96.46	6,35.64	1,04.32	-4,31.15

टीप:- ऋणात्मक आंकड़ें प्राप्तियों से अधिक पुनर्भुगतान किया जाना दर्शाता है।

अध्याय-3

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत में वर्गीकृत किया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों/विभागों को चलाने हेतु, दैनिक व्यय के रूप में राजस्व व्यय का उपयोग होता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी सम्पत्तियों के निर्माण अथवा ऐसी सम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि करने या स्थायी देयताओं को कम करने में होता है। राजस्व एवं पूंजीगत व्यय को पुनः आयोजना एवं आयोजनेतर में वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	इसमें न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।
सामाजिक सेवाएं	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलपूर्ति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण इत्यादि सम्मिलित है।
आर्थिक सेवाएं	इसमें कृषि ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, परिवहन इत्यादि शामिल है।

3.2 राजस्व व्यय:-

छत्तीसगढ़ शासन के विगत पाँच वर्षों के बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय के मध्य अन्तर का प्रतिशत निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)


	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बजट अनुमान	1,35,51.84	1,61,77.79	2,01,24.27	2,24,30.00	2,64,86.53
वास्तविक व्यय	1,08,39.86	1,37,93.71	1,72,65.44	1,93,55.75	2,26,28.05
अन्तर	27,11.98	23,84.08	28,58.83	30,74.25	38,58.48
बजट अनुमान से अन्तर का प्रतिशत	20	15	14	14	15

3.2.1 राजस्व व्यय 2011-12 का प्रक्षेत्रवार विवरण:-

(₹ करोड़ में)

घटक	राशि	प्रतिशत
क्र. राजकोषीय सेवाएं	4,84.40	2
(i) सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेन पर कर संग्रहण	2,10.92	.
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण	2,72.84	.
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.64	.
ख. राज्य के अंग	1,79.87	1
ग. ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवाएं	12,93.20	6
घ. प्रशासनिक सेवाएं	20,68.72	9
ङ. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	18,77.99	8
च. सामाजिक सेवाएं	1,04,76.84	46
झ. आर्थिक सेवाएं	55,60.35	25
ण. सहायता अनुदान तथा अंशदान	6,86.68	3
योग. व्यय (राजस्व लेखा)	2,26,28.05	100

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य संघटकों (2007-12) :-



3.3 पूंजीगत व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान पूंजीगत संवितरण (₹ 40,56.40 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 13,55,36.34 करोड़) का 3 प्रतिशत रहा एवं बजट अनुमान से ₹ 2,52.50 करोड़ (योजनागत व्यय में ₹ 2,42.16 की कमी तथा आयोजनेतर व्यय में ₹ 9.95 करोड़ के अधिक) कम था।

3.3.1 पूंजीगत व्यय 2011-12 का प्रक्षेत्रवार विवरण:-

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में ₹ 11,58.14 करोड़ व्यय किये गये जिसमें वृहद सिंचाई में ₹ 2,98.32 करोड़, मध्यम सिंचाई में ₹ 74.61 करोड़ तथा लघु सिंचाई में ₹ 7,85.21 करोड़ व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा भवन निर्माण पर ₹ 40.90 करोड़ तथा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹ 9,35.89 करोड़ निवेश किए गए।


(₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1	सामान्य सेवाएं-पुलिस, भू-राजस्व आदि	42.51	1
2	सामाजिक सेवाएं-शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, आदिम जाति, जनजाति कल्याण आदि	9,88.69	24
3	आर्थिक सेवाएं-कृषि, ग्रामीण विकास सिंचाई, सहकारिता उर्जा, उद्योग आदि	30,25.20	59
4	ऋण तथा अग्रिम-संवितरण	12,68.74	16
5	अन्तर्राज्यीय समायोजन	4.03	..
योग		53,29.17	100

3.3.2 विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण:-

(₹ करोड़ में)


क्र.	क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	सामान्य सेवाएं	106.55	102.10	76.81	52.87	42.51
2	सामाजिक सेवाएं	733.12	708.26	802.10	827.60	9,88.69
3	आर्थिक सेवाएं	2291.01	2129.80	1866.01	2071.04	30,25.20
4	ऋण तथा अग्रिम	500.28	490.75	896.79	566.55	12,68.74
5	अन्तर्राज्यीय समायोजन	2.08	1.47	3.29	2.34	4.03
योग		3632.14	3432.38	3645.00	3520.40	53,29.17



अध्याय-4


आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2011-12)



4.2 आयोजना व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान योजनागत व्यय ₹ 1,53,22.82 करोड़ रहा जो कुल संवितरण का 55 प्रतिशत है। कुल योजनागत व्यय में राज्य आयोजना के अन्तर्गत ₹ 1,12,13.52 करोड़, केन्द्र प्रवर्तित आयोजना के अन्तर्गत ₹ 28,46.54 करोड़, ऋणों एवं अग्रिमों के अन्तर्गत ₹ 12,58.73 करोड़ तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन ₹ 4.03 करोड़ सम्मिलित है।




4.2.1 पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत आयोजना व्यय

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल पूंजीगत व्यय	36,31.22	34,32.38	36,45.00	35,20.40	53,29.17
पूंजीगत व्यय (आयोजना)	35,89.03	34,20.92	36,34.88	35,09.35	53,18.41
कुल पूंजीगत व्यय से पूंजीगत व्यय (आयोजना) का प्रतिशत	98.84	100	99.72	99.69	99.80

4.3 आयोजनेत्तर व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजनेत्तर व्यय कुल संवितरण का 45 प्रतिशत करते हुए ₹ 1,26,34.40 करोड़ (राजस्व के अन्तर्गत ₹ 1,26,23.64 करोड़, पूंजीगत के अन्तर्गत ₹ 10.76 करोड़) रहा।




4.4 व्यय का अतिरेक

वर्ष के व्यय का नियमित प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। अत्यधिक व्यय, विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। फिर भी यह ध्यान में आया है, कि अधोलिखित प्रकरणों में मार्च 2012 के दौरान किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किये गए कुल व्यय के 51 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की सीमा के मध्य था जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधान प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रै.मा.	द्वितीय त्रै.मा.	तृतीय त्रै.मा.	चतुर्थ त्रै.मा.	योग	मार्च.2012 का व्यय	कुल व्यय से मार्च का %
2075	विविध सामान्य सेवाएं	00	00	0.01	0.10	0.11	0.10	86.99
2216	आवास	18.34	16.10	9.28	79.65	123.37	64.74	52.47
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	4.09	20.06	26.73	160.41	211.29	120.42	56.99
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	00	0.01	0.05	5.32	5.38	2.72	51.00
2408	खाद भण्डारण तथा भांडागार	3.47	4.26	3.11	414.26	425.10	404.65	95.19
2852	उद्योग	1.67	0.84	1.29	18.28	22.08	14.99	67.89
3275	अन्य संचार सेवा	00	00	8.18	17.93	26.11	15.33	58.71
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा सांस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8.95	22.57	14.93	135.53	181.98	101.84	55.96
4210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	22.06	11.65	11.24	104.34	149.29	78.52	52.59
4215	जलापूर्ति और मल निकासी पर पूंजीगत परिव्यय	00	00	0.05	5.06	5.11	2.64	51.72
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3.81	5.18	4.47	70.85	84.31	68.63	81.40
4225	अ.ज.,अ. ज.ज. तथा अ.पि.व. के कल्याण पर पूं. परि.	0.66	3.25	9.58	92.51	106.00	83.84	79.08
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1.83	00	0.06	54.71	56.60	46.52	82.18
4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	00	0.01	0.06	8.33	8.40	8.27	98.38
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	00	0.06	00	0.19	0.25	0.19	77.32
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	5.94	7.87	85.11	98.97	58.58	59.19
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.16	0.16	1.11	23.74	25.17	19.98	79.39
4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	00	0.01	0.04	26.05	26.10	25.94	99.41
4853	अलौह खनिज तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	00	00	00	55.00	55.00	55.00	100.00

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रै.मा.	द्वितीय त्रै.मा.	तृतीय त्रै.मा.	चतुर्थ त्रै.मा.	योग	मार्च.2012 का व्यय	कुल व्यय से मार्च का %
5053	नागर विमानन पर पुंजीगत परिव्यय	00	0.24	0.16	8.26	8.66	5.18	59.83
5452	पर्यटन पर पुंजीगत परिव्यय	00	00	2.00	9.11	11.11	9.11	81.99
6215	जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज	00	00	00	3.99	3.99	3.99	100.00
6401	फसल कृषि. कर्म के लिए कर्ज	30.00	00	00	70.00	100.00	70.00	70.00

4.5 वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर व्यय



टिप्पणी: वेतन में नियमित कर्मचारियों का वेतन एवं कार्यभारित स्थापना वेतन सम्मिलित है।

(₹ करोड़ में)

घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर व्यय	45,22.98	55,28.18	78,71.25	97,05.04	1,09,44.82*
राजस्व व्यय	1,08,39.85	1,37,93.70	1,72,65.44	1,93,55.75	2,26,28.05
राजस्व प्राप्ति का वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर व्यय से प्रतिशत	32	35	43	43	42
राजस्व व्यय का वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर व्यय से प्रतिशत	41	40	45	50	48

* उपरोक्त में सहायता अनुदान से वेतन की राशि ₹ 897.27 करोड़ शामिल है किंतु मजदूरी की राशि ₹406.13 करोड़ शामिल नहीं है।

वर्ष 2010-11 की तुलना में वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अध्याय-5

विनियोग लेखे

5.1 विनियोग लेखे का सार 2011-12 :-

(₹ करोड़ में)

क्र.स	व्यय का प्रकार	मूल अनुदान	पूरक अनुदान	पुन-विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) आधिक्य(+)
1	राजस्व- दत्तमत प्रभारित	2,34,81.77 16,32.20	19,56.90 15.60	-31,50.63 -1,23.61	2,22,88.04 15,24.19	2,14,59.52 15,21.68	-8,28.52 -2.51
2	पूँजीगत- दत्तमत प्रभारित	51,33.10 0.66	14,41.57 3.46	-13,87.07 -0.15	51,87.60 3.97	41,08.36 3.52	-10,79.24 -0.45
3	लोकऋण- प्रभारित	10,42.70	..	-1,90.21	8,52.49	8,52.49	..
4	ऋण तथा अग्रिम दत्तमत	11,87.32	1,48.80	-40.28	12,95.84	12,68.74	-27.10
5	अन्तर्राज्यीय समाशोधन दत्तमत	0.01	0.01	4.03	+4.02
	योग	3,24,77.76	35,66.33	-48,91.95	3,11,52.14	2,92,18.34	-19,33.80

5.2 विगत पांच वर्षों के बचत/आधिक्य का रुझान :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) आधिक्य (+)					योग
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	
2007-08	-18,53.43	-5,21.07	+2,71.53	-62.23	+2.07	-21,63.13
2008-09	-14,76.58	-8,60.66	+19.85	-77.40	+1.46	-23,93.33
2009-10	-10,66.21	-6,28.41	+0.30	-83.56	+3.28	-17,74.60
2010-11	-15,46.95	-3,94.76	+0.03	-17.89	+2.33	-19,57.24
2011-12	-8,31.03	-10,79.69	..	-27.10	+4.02	-19,33.80

5.3 महत्वपूर्ण बचतें:-

अनुदान के अन्तर्गत अधिक बचतें कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन न करने या धीमी गति से क्रियान्वित करने का द्योतक है। कुछ अनुदानों के अन्तर्गत लगातार हुई बचतें एवं विशिष्ट बचतें निम्नानुसार हैं:-

(प्रतिशत में बचत)

अनुदान संख्या तथा नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व दत्तमत					
10-वन	6	10	5	6	2
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	9	8	6	7	4
27-स्कूल शिक्षा	8	15	3	25	0
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	16	13	9	10	3
44-उच्च शिक्षा	18	24	42	9	35
55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	20	11	30	29	6
64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	11	13	7	12	3
79-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	11	47	22	25	25
81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	11	9	23	5	4
पूंजीगत दत्तमत					
27-स्कूल शिक्षा	23	12	1	11	2
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	11	13	14	3	2
42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	18	35	42	41	58
67-लोक निर्माण कार्य-भवन	20	20	22	27	72
68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	43	55	58	34	45

वर्ष 2011-12 के दौरान कुल ₹ 35,66.33 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया जो कि कुल व्यय का 12.21 प्रतिशत था। कुछ प्रकरणों में मूल प्रावधान से कम व्यय होने के कारण बचत हुई तथापि वर्ष के दौरान अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ, जानकारी निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या तथा नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
01-सामान्य प्रशासन	राजस्व	87.62	11.57	83.72
02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	11.29	0.73	9.12
04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	26.60	1.96	11.00
06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,17.52	29.08	19,17.07
07-वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	195.60	0.92	188.26
08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	393.30	13.00	148.66
13-कृषि	राजस्व	571.87	12.26	4,09.85
14-पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	222.25	32.23	187.55

अनुदान संख्या तथा नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
15-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	98.83	18.16	95.17
18-श्रम	राजस्व	37.11	0.72	27.67
19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	580.42	6.72	513.55
24-लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	राजस्व	361.30	25.00	255.91
25-खानिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	132.54	0.40	126.23
26-संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	15.59	1.29	14.26
27-स्कूल शिक्षा	राजस्व	2315.94	161.74	2174.07
28-राज्य विधान मण्डल	राजस्व	24.99	1.20	19.04
29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	143.62	5.51	116.61
31-योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	14.90	1.50	13.48
33-आदिम जाति कल्याण	राजस्व	973.50	13.07	859.35
34-समाज कल्याण	राजस्व	36.17	2.77	31.78
36-परिवहन	राजस्व	28.97	3.22	22.23
39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	874.97	0.35	865.43
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	3018.90	140.81	2517.94
43-खेल और युवा कल्याण	राजस्व	31.27	0.72	15.65
44-उच्च शिक्षा	राजस्व	387.49	8.96	257.20
46-विज्ञान और टेक्नॉलाजी	राजस्व	10.90	0.20	4.54
48-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	राजस्व	318.21	34.48	264.99
49-अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	39.27	2.50	38.77
53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	11.09	1.26	7.69
55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	560.82	120.43	539.64
58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	382.48	79.66	282.89
64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	राजस्व	1038.30	124.24	764.60
67-लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	303.87	13.88	260.03
69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	राजस्व	373.11	10.50	138.63
71-सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	राजस्व	36.53	1.53	26.11
79-चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	222.43	23.37	184.96
83-अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	22.35	2.26	22.18
10-वन	पूँजीगत	17.45	0.30	7.26
11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	पूँजीगत	32.67	2.00	22.64
19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूँजीगत	19.84	1.25	12.88
23-जल संसाधन विभाग	पूँजीगत	436.35	5.00	310.94

अनुदान संख्या तथा नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
24-लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूँजीगत	620.56	27.72	401.92
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	पूँजीगत	1180.56	289.25	877.11
45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूँजीगत	468.30	20.00	313.79
48-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	पूँजीगत	328.21	0.25	129.87
64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	पूँजीगत	740.41	64.62	559.73
67-लोक निर्माण कार्य-भवन	पूँजीगत	306.77	57.77	100.80
68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	पूँजीगत	104.92	21.57	69.39
76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूँजीगत	180.00	2.00	57.44
79-चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	पूँजीगत	45.99	15.00	42.43

अध्याय-6

परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

6.1 परिसम्पत्तियां :-

लेखाओं का विद्यमान स्वरूप शासकीय परिसम्पत्ति जैसे भूमि, भवन आदि के जिस वर्ष में क्रय/अर्जन किये गये हैं, को छोड़कर, सही मूल्यांकन से चित्रित नहीं करते हैं। इसी तरह जबकि लेखे वर्तमान वर्ष में उत्पन्न देयताओं के प्रभाव उसी वर्ष में डालते हैं, वे कुछ सीमा तक ब्याज की दर एवं विद्यमान उधार की अवधि को छोड़कर भावी पीढ़ी पर कुल मिलाकर डाले गये प्रभाव को चित्रित नहीं करते हैं।

वर्ष 2011-12 के अन्त तक गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 11,94.38 करोड़ रहा। इस प्रकार वर्ष 2011-12 के दौरान निवेश पर ₹ 0.46 करोड़ (0.03 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त किया। वर्ष 2011-12 के दौरान निवेश में ₹ 9,24.46 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि लाभांश आय में ₹ 3.84 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च 2011 को भारतीय रिजर्व बैंक का रोकड़ शेष ₹ (-)14,80.73 करोड़ था तथा मार्च 2012 के अन्त में बढ़कर ₹ (+)94.42 करोड़ हुआ।

6.2 ऋण तथा देयताएं:-


भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा में, यदि कोई हो, जैसा की समय समय पर राज्य विधान सभा द्वारा निर्धारित की गई हो, राज्य सरकार को उधार लेने की शक्ति प्रदत्त की गई है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल देयताएं का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	लोक लेखा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2007-08	10479.77	15.64	4031.84	5.84	14422.23	21.38
2008-09	10376.75	12.85	4403.27	5.45	14780.03	18.31
2009-10	11012.39	10.21	4920.55	5.56	15936.62	14.77
2010-11	11116.72	8.56	5464.56	4.30	16581.28	12.87
2011-12	10685.57	7.88	6416.45	4.73	17102.02	12.61

वर्ष 2010-11 की तुलना में 2011-12 में लोकऋण तथा अन्य देयताओं में ₹ 4,05.03 करोड़ (2.43 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई।



6.3 प्रत्याभूतियां :-

संविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जों और पूंजी के पुनर्भुगतान तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रत्याभूत राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
(₹ करोड़ में)			
2007-08	24,95.22	4,80.62	प्रतीक्षित
2008-09	36,49.53	8,95.16	प्रतीक्षित
2009-10	44,00.65	33,37.53	33.81
2010-11	50,53.59	28,49.35	प्रतीक्षित
2011-12	70,79.29	26,37.40	प्रतीक्षित

अध्याय-7

अन्य विषय

7.1 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम :-

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के वर्षान्त तक ₹15,31.88 करोड़ के कुल ऋण एवं अग्रिम दिए गए हैं जो सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों हेतु ऋण एवं अग्रिम से संबंधित थे। 31 मार्च 2012 के अन्त तक ₹10,55.04 करोड़ मूल एवं ₹26.34 करोड़ ब्याज की वसूली बाकाया है।

7.2 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता :-

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान 2007-08 में ₹20,07.26 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹46,07.58 करोड़ हो गया जो कि पूर्व वर्षों की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य शासन द्वारा मुख्यतः शहरी निकायों को 28 प्रतिशत, पंचायती राज्य संस्थाओं को 61 प्रतिशत एवं अन्य संस्थाओं को 11 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

विगत पांच वर्षों के सहायक अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

निकायों को वित्तीय सहायता	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
शैक्षणिक संस्थाएं(अनुदानित शालाएं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय,	98.86	83.82	83.90	1,44.82	1,63.07
विद्युत/उर्जा	1,35.13	1,18.00	65.05	1,01.05	1,49.56
कृषि	16.81	19.78	26.50	37.50	56.50
शहरी निकाय	6,18.15	7,37.26	5,77.71	9,05.50	12,68.53
पंचायती राज संस्थान	9,55.14	12,99.47	15,20.71	18,35.92	28,11.71
अन्य संस्थान	1,83.17	3,04.72	4,78.25	3,76.43	1,58.21
योग	20,07.26	25,63.05	27,52.17	34,01.22	46,07.58

7.3 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश :-

2011-12 में राज्य सरकार की रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश की स्थिति निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2011 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार	निवल वृद्धि(+)/ कमी(-)
रोकड़ शेष	(-) 14,80.73	(+) 94.42	(+) 15,75.15
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषालय बिल)	33,80.80	16,45.92	-17,34.80
उद्धिष्ठ पृथक निधियों का निवेश	7,99.04	9,48.90	+1,49.86
(क) निक्षेप निधि	7,96.94	9,46.94	+1,50.00
(ख) प्रतिभूति उनमोचन निधि
(ग) अन्य निधियाँ	2.10	1.96	0.14
प्राप्त ब्याज	90.28	2,06.23 ⁶	+1,15.95

7.4 लेखों का पुनर्मिलान:-

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा समय पर विभागीय आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखा कार्यालय के आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। राज्य में 96 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2011-2012 के लेखाओं का पुनर्मिलान कार्य पूर्ण किया गया है।

7.5 कोषालयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण:-

महालेखाकार कार्यालयों को कोषालयों, निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन मण्डलों द्वारा मासिक लेखे प्रस्तुत किए गए। 2011-12 में कुछ कोषालयों द्वारा मासिक लेखे विलम्ब से प्रस्तुत करने की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विलम्ब की अवधि	कोषालय की संख्या	निर्माण कार्य संभाग की संख्या	वन संभागों की संख्या	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग की संख्या
1	1 से 5 दिन	87	316	55	36
2	5 दिन से अधिक	26	34	06	22

⁶ रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त ब्याज ₹ 153.17 करोड़, अकाल राहत निधि से ब्याज प्रप्ति ₹ 25.39 करोड़ तथा राजस्व आरक्षित निधि से प्राप्त ब्याज ₹ 27.67 करोड़ सम्मिलित हैं।

7.6 अपूर्ण निर्माण कार्यों पर प्रतिबद्धता:-

(₹ करोड़ में)

अवधि	सिंचाई		भवन		सड़क		पुल	
	कार्यों की संख्या	राशि (₹)	कार्यों की संख्या	राशि (₹)	कार्यों की संख्या	राशि (₹)	कार्यों की संख्या	राशि (₹)
1995 से पूर्व	10	15,33.02	01	39.89
1995-2000
2000-2005	10	9,66.00	01	16.95	01	25.62
2005-2010	74	23,96.72	10	4,18.31	39	9,85.12	18	2,66.03
2010-2012	48	40,46.45	03	36.35	37	9,28.39	6	68.85
योग	142	89,42.19	15	5,11.50	77	19,39.12	24	3,34.88

₹ 10 करोड़ या अधिक के अपूर्ण निर्माण कार्य की जानकारी राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

